इकाई 9 यूनाइटेड किंगड्म (यू.के) में संसदीय सर्वोच्चता एवं कानून की भूमिका

संरचना

9.0 उद्देश्य

9.1 परिचय

9.2 संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ

9.3 संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का विकास

9.4 यू.के की संसद का मॉडल

9.5 संसदीय सर्वोच्चता पर सीमाएं

9.5.1 ब्रिटिश संसद में कार्यकारी और विधानमंडल

9.5.2 सामान्य कानून और न्यायपालिका की भूमिका

9.5.3 अंतर्राष्ट्रीय कानून

9.5.4 चुनावी चिंताएं और अनौपचारिक नियंत्रण

9.6 कानून के शासन

9.7 सारांश

9.8 संदर्भ

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य संसदीय सर्वोच्चता और कानून के शासन की अवधारणाओं का यूनाइटेड किंगडम मे प्रयोग को समझना है। इस इकाई के अध्ययन करने के बाद, आपको निम्नलिखित को करने में सक्षम होना चाहिए:–

- संसदीय संप्रभुता और कानून के शासन का अर्थ स्पष्ट करें।
- एतिहासिक अर्थ में इन सिद्धांतो और प्रथाओं के विकास की व्याख्या करें।
- यू.के की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी और विधायिका के बीच संबंधों की प्रकृति का विश्लेषण करें।
- संसद के अन्दर और बाहर संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को समकालीन चुनौतियों का विश्लेषण करें।

9.1 परिचय

दुनिया के कई हिस्सों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के एक लम्बे इतिहास के कारण, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को विभिन्न औपनिवेशिक देशों में अक्सर प्रासंगिक संशोधनों के साथ लागू किया गया था। यह इकाई आपको ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता की प्रमुख विशेषताओं और लक्षणों एवं कानून के शासन के सिद्धांत को

समझने में मद्द करेगी। ये फ्रांसीसी शब्द 'पार्लर' से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ 'बोलने के लिए' है, संसद ने शुरू में राजाओ के द्वारा राज्य के मामलों पर विचार–विमर्श के लिए बुद्धिमान सलाहकारो को आमंत्रित करने तक निहित था। संप्रभुता को मोटे तौर पर एक विशेष क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर सर्वोच्च अधिकार के रूप में समझा जाता है। आंतरिक संप्रभुता को बिना किसी अवरोध के और चुनौती के आबादी पर अधिकार के रूप में समझा जाता है, जिसे किसी अन्य इकाई के द्वारा रोका या बाध्य नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है, इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय नीतियां है, जिसमें आंतरिक संप्रभुता को साझा करने की अवधारणा निहित है। ब्रिटिश संसद को देश में सर्वोच्च और मौलिक कानून निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि प्रख्यात संविधानवादी ए.वी.डायस ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के संबंध में उल्लेखित किया है–''ब्रिटिश संविधान के तहत संसद का किसी भी कानून को बनाने या रद्द करने का अधिकार है एवं इसके अलावा इंग्लैंड के कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति या निकाय को संसद के कानून को रद्द करने या उपेक्षा करने का अधिकार नही है।''

9.2 संसद की सर्वोच्चता का तात्पर्य

संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ब्रिटेन में संसद कानून निर्मित करने वाला पूर्ण या उच्चतम् प्राधिकरण है। इसे कानूनी शक्तियां प्राप्त है, जो इसे देश में बिना किसी घरेलू व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के चुनौती, वीटो या अवेहलना के किसी भी कानून को बनाने, संशोधन या निरस्त करने में सक्षम बनाता है। डी लोम्मे की संसदीय सर्वोच्चता पर राय लगभग एक लौकिक अभिव्यक्ति है, '' अंग्रेज़ वकीलों के साथ यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि संसद सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्या एक महिला को एक पुरूष और एक पुरूष को एक महिला बना सकती हैं''।

इसका सबसे भयावह प्रमाण सेप्टेनियल एक्ट का पारित होना था, जिसने तत्कालीन हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि को तीन से सात साल तक बढ़ा दिया और इस तरह अंग्रेजों द्वारा उन प्रतिनिधियों को दिए गए जनादेश की अवधि में वृद्धि कर दी गई। संक्षेप में, संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम के अन्दर संसद को सर्वोच्च कानून बनाने वाले प्राधिकरण के रूप में स्थापित करता है और इसे यू.के के किसी अन्य संस्थान के हस्तक्षेप के बिना किसी भी कानून को बनाने, संशोधन या निरस्त करने में सक्षम बनाता है। डेज़ी इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता के तीन लक्षणों को इंगित करती हैः– 1) किसी भी कानून में संशोधन करने के लिए विधायी शक्ति, मौलिक या अन्य, स्वतंत्र और समान तरीके से। 2) संवैधानिक/मौलिक और अन्य के रूप में विभिन्न प्रकार के कानूनों के बीच कोई कानूनी भेद नहीं है। एवं 3) किसी भी प्राधिकरण के पास चाहे वो न्यायिक या अन्य को किसी संसदीय अधिनियम को शून्य घोषित करने की शक्ति नही है। इन कार्यो को करने के लिए संसद के पटल पर स्वतंत्र और व्यापक बहस की आवश्यकता होती है। यह सरकारी सदस्यों की भर्ती के लिए पूल के रूप में भी काम करता है। संसद के सदस्य (सांसद) मतदाताओं और सरकार के बीच संप्रेषण के एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में कार्य करते है।

9.3 संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत का मूल्यांकन

संसदीय लोकतंत्र की ब्रिटिश प्रणाली में, राज्य का प्रमुख सम्राट होता है जबकि सरकार का प्रमुख निर्वाचित होता है और संसद से आता है। प्रोफेसर मेयर ग्रांट के अनुसार, ब्रिटिश संसद के विकास को चार चरणों में समझा जा सकता है :–

1) **पहला चरण**– मध्य युग में, संसद का प्रतिनिधित्व केवल एक सदन अर्थात हाउस ऑफ लॉर्डस के माध्यम् से किया जाता था। सैक्सन समय के दौरान, इसमें 'बुद्धिमान पुरूष' शामिल होते थे, जिनमें अक्सर धार्मिक (आर्कबिशप, बिशप आदि) और राजनीतिक (राजा, सामंत आदि) सलाहकार शामिल होते थे। बाद में, मैगनाकार्टा को 1215 में सम्राट द्वारा अत्यधिक कर लगाने की नीति के प्रति तालुक्दार के प्रतिरोध के परिणामस्वरूप प्रख्यापित किया गया था। 13 वीं शताब्दी में कॉमन्स को निर्मित होते हुए भी देखा गया क्योंकि मंहगे युद्ध न केवल लॉर्डस से बल्कि देश के स्वतंत्र जनों से भी विस्तृत तौर से भारी कर संग्रहण किया गया। यह कर दायित्व कुछ हद तक प्रतिनिधित्व के सीमित अधिकार के साथ पूरक के रूप में था। तत्पश्चात्, प्रत्येक काउंटी चार सामंतो को चुनती थी, जिन्हें वेस्टमिंस्टर में भेजा जाता था। संघीय परिषद अब तीन प्रमुख गुटो– पादरी, तालुकदार और आमजनों के साथ जनता के हितों का अधिक प्रतिनिधित्व करने लगी। 14 वीं शताब्दी में दो सदनों या सदनों के क्रमिक पृथक्करण हाउस ऑफ लार्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में हुआ।

2) **दूसरे चरण में**– 1485 से 17वीं शताब्दी तक–संसदीय विकास को स्टुअर्ट राजाओं और संसद के मध्य पूर्ण संप्रभु सत्ता के हेतु संघर्ष की विशेषता के रूप में देखा गया। राजाओं ने अपने दैवीय शासन के अधिकार पर जोर दिया, जिसे संसद ने अस्वीकार कर दिया। 1628 में अधिकारों की याचिका पर चार्ल्स–प्रथम द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया था और बाद में उन्होंने संसद को भी भंग कर दिया था। इस सब के कारण ग्यारह वर्षो तक गृहयुद्ध चला, जिसके दौरान कोई संसदीय सत्र नहीं चलाया गया।

   गृह युद्ध ने एक बार और हमेशा के लिए संसद के कानूनी संप्रभु अधिकार की स्थापना की। कार्यपालिका या सरकार की संसदीय जांच की प्रथा संसद के पास इस अधिकार के साथ शुरू हुई जिसके तहत उन शाही अधिकारियों को दंडित करने के अधिकार था जिन्होंने कर संग्रह नियमों का उल्लंघन किया था। इसके अलावा, करदाता होने के नाते कॉमन्स ने सरकार द्वारा निर्धारित वित्त और कराधान के मामलों को मंजूरी देने के अधिकार पर अपने एकमात्र स्वामित्व (हाउस ऑफ लॉर्डस के विरूद्ध) को स्वीकार करना आरम्भ कर दिया।

3) ब्रिटेन में आधुनिक संसदीय प्रणाली से जुड़ी कुछ प्रथाओं की शुरूआत जैसे पार्टी प्रणाली, मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी का सिद्धांत, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय बहसों की सार्वजनिक रिपोंटिग आदि तीसरे चरण में शुरू हुई– 1688 से 1832 के मध्य।

जेम्स द्वितीय के शासन के दौरान 1688 की गौरवशाली क्रांति ने संसद की परम संप्रभुता की स्थापना की। 1689 में अधिकारों के विधेयक ने संसद की सर्वोच्चता के साथ संवैधानिक या सीमित राजतंत्र की वकालत करके इसे सुदृढ़ किया। ब्रिटेन में संसद में रानी का एकमात्र संप्रभु घोषित किया गया।

नए कानूनों और करों के मामलों में संसदीय शक्तियां राजसी अधिकारों की कीमत पर अधिकारों के बिल 1689 (जिसे ग्रेट चार्टर्स भी कहा जाता है) एवं 1701 में समाधान के अधिनियम के माध्यम से बढ़ी।

4) **चौथा चरण,** 1832 से आज तक, एक तरफ भूमिकाओं व जिम्मदारियों का संस्थागतकरण और का विशेषीकरण तथा कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधो के विनिर्देशन की विशेषता और दूसरी ओर दोनों सदनों के बीच। इसका समग्र प्रभाव आबादी के प्रतिनिधि निकाय के रूप में निर्वाचित ब्रिटिश संसद की कानूनी संप्रभुता को स्थापित करने के लिए किया गया है। राजनैतिक संप्रभुता के संदर्भ में, ब्रिटिश मतदाता को सुधार अधिनियम 1832 के माध्यम से प्राधिकरण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, जब चुनावी जिलों को फिर से तैयार किया गया था (हांलाकि उस समय बहुत सीमित आबादी को मतदान के अधिकार की अनुमति थी)। मताधिकार का विस्तार बाद के समय में किया गया था, विशेष रूप से 1867 के बाद। लंबे आंदोलन के बाद महिलाओ को 1918 में वोट देने का अधिकार मिला। हाल के दिनों में, ब्रिटिश लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षओं का पूरा करने के लिए उत्तरी आयरिश, स्कॉटिश और वेल्श क्षेत्रीय विधानसभाओं या संसदो के सृजन के माध्यम से शक्ति का अधिक हस्तांतरण हुआ है। तीनों संसदीय निर्वाचित निकाय है। वे कुछ 'न्यायगत' मामलों के लिए जिम्मेदार है, जबकि 'आरक्षित' मामले वेस्टमिंस्टर संसद की जिम्मेदारी है। हांलाकि इन विधानसभाओं को भी अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र को ही संचालित करने का अधिकार दिया जाता है, जिसे केंद्रीय संसद द्वारा प्रसारित किया जाता है जो उनकी शक्तियों और कार्यो को सीमित, बढ़ा या समाप्त कर सकती है। हांलाकि, इसका अर्थ यह नही है कि पूरे यूनाइटेड किंगडम के कानूनों मे एकरूपता होगी। स्कॉटिश और ब्रिटिश कानूनों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएं है, लेकिन वे बनी रहती है क्योंकि वेस्टमिंस्टर संसद उन्हें जारी रखने की अनुमति देती है। चूंकि ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण आयामों को संसद द्वारा नियंत्रित और प्रशासित किया जाता है। कोई कह सकता है जैसे कि बोगडानोर (2016: 164) ने तर्क दिया कि ''ब्रिटिश संवैधानिक विकास की मूल विशेषता निंरतर और अविभाजित संसदीय संप्रभुता की लंबी पंरपरा है''।

बोध प्रश्न 1

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ख) अपने उत्तर हेतु सुझावों के लिए इकाई के अतं में देखें।

1) आप यूनाइटेट किंगडम में संसदीय सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता की अवधारणा से क्या समझते है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के क्रियाकलापो के क्रमशः विकास का पता लगाएं।

.....

.....

.....

.....

.....

9.4 यू.के की संसद का मॉडल

यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजतंत्र है, जो राजतंत्र के प्रतीकात्मक औपचारिक नेतृत्व के साथ हैं जबकि वास्तविक शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किया जाता है। संसद एक द्विसदनीय विधायिका है अर्थात इसमें दो सदन या चैंबर्स– कॉमन्स तथा लॉर्डस हैं। अधिकांश उदारवादी लोकतंत्रों में, विधायिका द्विसदनीय है (श्रीलंका और डेनमार्क जैसे देशों में हालांकि एकपक्षीय विधायिकाएं हैं), ताकि विधायी शक्ति पर संस्थागत नियंत्रण और संतुलन प्रदान किया जा सके, उदाहरणार्थ– भारतीय संसद, अमेरिकी 'कांग्रेस' आदि। हालांकि, अमेरिकी और रूसी प्रथाओं के विपरीत, ब्रिटेन में ऊपरी सदन एक निर्वाचित निकाय नहीं है। अपनी विशेषज्ञता, धार्मिक अधिकार और पारंपरिक वंशानुगत स्थिति के कारण बड़े राजनेताओं की स्थिति से कॉमंस की तुलना में हाउस ऑफ लॉर्डस की लोकतांत्रिक वैधता कम है, क्योंकि इसमे सींटे अभी भी काफी हद तक वंशानुगत है। उदाहरणार्थ यह कनाडाई ऊपरी सदन की तरह पूर्णतः गैर–निर्वाचित है। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों ने हाउस ऑफ लॉर्डस की शक्तियों में निर्णायक गिरावट ला दी क्योंकि उन्हें धन के बिल में संशोधन करने के कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया और कॉमंस के विधायी बिलों को विलंबित करने की उनकी शक्ति को एक वर्ष तक सीमित कर दिया गया था अर्थात केवल दो संसदीय सत्र तक, जिसका उपयोग कम ही होता है। ऊपरी सदन अभी भी उपयोगी कार्य कर करता हैं क्योंकि यह विधानों को आंरभ कर सकता है, इसे बिलों को पारित करना चाहिए (हालांकि उनकी अस्वीकृति को हाउस ऑफ कॉमंस द्वारा खारिज किया जा सकता है), यह विवादास्पद मुद्दों पर बहस कर सकता है क्योंकि उनके पास इसके लिए अधिक समय होता है और चुनावी संदर्भ में सहयोग पाने के लिए खोने हेतु कम होता है। यह कई बार बहुवादी हित समूहों को लाबी करने और कॉमंस से रियायतें लेने के अवसर प्रदान करता है। हालांकि, चर्च के सदस्यों के अलावा, अन्य सदस्यों में से अधिकांश या तो प्रमुख राजनीतिक दलों के है (कुछ सदस्य 'स्वतंत्र' भी हैं) और इसलिए कुछ विधानों को प्रस्तावित करने एवं पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। हालांकि, स्वतः की उद्घोषणा के विपरीत, टोनी ब्लेयर की लेबर पार्टी की सरकार ने

ऊपरी सदन को समाप्त नहीं किया क्योंकि नए रूपों पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई थी, जिसे वह ले सकती थी।

ब्रिटेन में, प्रत्येक विधेयक को तीन संस्थाओं द्वारा मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है :– संसद के कानून या अधिनियम बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमंस, हाउस ऑफ लार्डस और क्राउन से गुजरना पड़ता है। विशेष रूप से 1688 की गौरवशाली क्रांति के बाद से यह स्थापित हो गया है कि जनता की इच्छा कॉमंस के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से परिलक्षित होगी और इसे एक गैर.–निर्वाचित राजतंत्र द्वारा चुनौती नहीं दी जा जाएगी। उद्घोषणा/ अध्यादेशों के माध्यम से शाही कानून भी एडवर्ड–छठे के शासन काल में मान्य नहीं थे। संसद के विधायी अधिकार को चुनौती देने वाले एक सम्राट का अंतिम उदाहरण 1707 में था, जब रानी ने स्कॉटलैंड मिलिशिया बिल को वीटो किया था। हालांकि, विधेयक को कानून बनने के लिए शाही सहमति अनिवार्य है, लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए कानून हेतु राजशाही की भूमिका सिर्फ औपचारिक है। लेकिन प्रथाओं और पंरपराओं के अनुसार संसदीय सत्र के वार्षिक उद्घाटन को महारानी द्वारा संबोधित किया जाता है। हालांकि इस संबोधन की विषय.–वस्तु को सरकार द्वारा लिखा जाता है और इसे महारानी केवल पढ़ देती है। क्राउन संसद को भंग करता है और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर नए चुनाव का आह्वान करता है। ब्रिटिश सम्राट के सन्दर्भ में विधेयक को वीटो करने की शक्ति केवल प्रतीकात्मक है। वाल्टर बैजहाट के अनुसार नियमित गोपनीय बैठकों में महारानी को ''परामर्श देने, प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने का अधिकार'' होता है। चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री महारानी से मिलकर सरकार बनाने की अनुमति मांगते है जो केवल एक औपचारिकता मात्र होती है। यदि कोई स्पष्ट बहुमत वाली पार्टी नहीं है, तो महारानी एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर रानी की राय में सरकार बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में प्रतीत होता है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आज भी राजशाही ब्रिटिश राष्ट्र की पंरपरा, एकता, स्थिरता और राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। मुख्यतः, वह (महारानी) सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और कमांडर–इन–चीफ है। वह कॉमनवेल्थ की प्रमुख होने के नाते पूर्ववर्ती औपनिवेशिक देशों के साथ संबंधों की निंरतरता का भी प्रतीक है।

बोध प्रश्न 2

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ख) अपने उत्तर के लिए सुझावों हेतु इकाई के अंत में देखें।

1) ब्रिटेन की संसद की प्रकृति का विश्लेषण हाउस ऑफ लार्डस और हाउस ऑफ कॉमंस की शक्तियों के विशेष संदर्भ में करें।

.....

.....

.....

.....

.....

9.5 संसदीय सर्वोच्चता पर सीमाएं

पूरी तरह से संहिताबद्ध संविधान की अनुपस्थिति में, संसद की विधायी शक्तियों पर विशिष्ट सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की लचीली प्रकृति सवैधानिक संशोधनों के मामलो में ब्रिटिश संसदीय वर्चस्व से संबंधित है, जिसे कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया की तरह लाया जा सकता है। यह अमेरिकी, आयरिश अथवा यहां तक कि भारतीय संविधान जैसे कठोर और अनम्य संविधान वाले देशों की प्रथाओं के विपरीत है जहां संविधान के मूल सिंद्धातों को परिवर्तित करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं का लिखित प्रावधान है। टोकेविले ने लिखा है कि ''इग्लैंड में, संविधान को संशोधित करने का अधिकार स्वीकृत रूप में संसद के पास है, अतः संविधान स्थायी परिवर्तन से गुजर सकता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, संसद एक समय में एक विधायी और एक घटक विधानसभा होती है''। गणना के आधार पर, संसद और बल्कि हाउस ऑफ कॉमंस एक मत के बहुमत के साथ, किसी भी कानून को अपनी इच्छा से आगे बढा सकते है। अंग्रेजी संविधान के तहत कोई भी शक्ति इसे सीमित या इसका विरोध नहीं कर सकती है।

जब तक संसद चुनावी जनादेश का पालन करती है, तब तक उसकी विधायी शक्तियां कानूनी मानी जाती है और पिछली संसदों द्वारा निर्मित कानूनों से बाध्य नहीं होती है। भविष्य की संसद की अधिनियमित शक्ति या अपरिवर्तनीय कानूनों को लागू करने पर एक सीमा, संसद की संप्रभुता की उपेक्षा होगी। हालांकि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह यूनाइटेड किंगडम में सभी कानूनों का स्रोत है। इस देश को मुख्य रूप से पांच प्रमुख स्रोतों (मैककॉमिक 2010) से निकले संवैधानिक सिद्धांतो के अनुसार चलाया जाता है, जो इस प्रकार हैः—कानून या संसदीय अधिनियम, न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से उत्पन्न हुए सामान्य कानून, यूरोपीय कानून उन क्षेत्रों में जहां यूरोपीय संघ की प्रधानता है, सीमा शुल्क और कन्वेंशन में कानून का बल नहीं है लेकिन इसकी लंबे समय से मिशाल रहने और उनके प्रति मजबूत अनुकूल जनमत के कारण एवं संवैधानिक विशेषज्ञों जैसे कि ए.वी.डाइस, वाल्टर बैजहोट आदि की टिप्पणी की वजह से ये लगभग बाध्यकारी है। इस तथ्य के बावजूद कि यू.के संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत का पालन करता है, परन्तु इसकी वास्तविक शक्तियों के वास्तविक अभ्यास की कुछ सीमाएं है।

5.1 ब्रिटेन की संसद में कार्यपालिका और विधायिका

हालांकि, ब्रिटेन में संसद की कानूनी संप्रभुता है, लेकिन यह शासन नहीं करता है। शासन करना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और कनिष्ठ मंत्री शामिल होते है। इसके विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका पूर्णतः अलग—अलग निकाय है। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली एक संगलित प्रणाली प्रदान करती है जहां कार्यपालिका का सदस्य भी विधायिका का हिस्सा है।

सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री होता है जिनके पास हाउस ऑफ कॉमंस में उनकी पार्टी का बहुमत होता है, उन्हें कानून और नीतियों को बनाने, एजेंडा

तय करने, व्यक्तिगत सदस्यों को मंत्रीपद सौपने या उनमें फेरबदल करने का वृहत अधिकार प्राप्त होता है। यद्यपि उनकी/उनके पद की स्थिति उनके समकक्ष कैबिनेट मंत्रियों के बीच ''समकक्षों में प्रथम'' की होती है, परन्तु महत्वपूर्ण पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति करने और एक समय में संसदीय चुनाव कराने के लिए राजशाही से अनुरोध करने के लिए उन्हें पार्टी अधिक अनुकूल लगती है। प्रधानमंत्री को कॉमंस का सदस्य होना चाहिए और उन्हें एक कैबिनेट के माध्यम से शासन करना चाहिए, जो अमेरिकी प्रणाली के विपरीत विधायिका से प्राप्त होता है। कैबिनेट सरकार की नीतियों को आकार और प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करती है तथा सामूहिक निर्णय के माध्यम से कैबिनेट सरकार की छाप प्रस्तुत करती है। हालांकि प्रधानमंत्री का मजबूत व्यक्तित्व मंत्रिमंडल के माध्यम से शासन का कम या नियंत्रित किया जा सकता है, (केसलमैन 2019)। कैबिनेट सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी कैबिनेट मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों को लागू करना चाहिए, भले ही वे उनके साथ व्यक्तिगत रूप से सहमत न हों और उन नीतियों की सफलता एवं विफलता के लिए उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। वे आंतरिक बैठकों में अपनी असहमति पूर्ण राय को व्यक्त कर सकते है और वे आधिकारिक गोपनीयता के निर्देर्शों से नियंत्रित होते है।

सैद्धांतिक रूप से, कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ होती है। संवैधानिक पंरपरा है कि सरकार को इस्तीफा देना पडता है यदि यह हाउस ऑफ कॉमंस में ''अविश्वास प्रस्ताव'' के माध्यम से हार जाती है। एक तरह से, यह संसदीय संप्रभुता को पुष्ट करता है क्योंकि बहुमत वाली पार्टी न केवल विधेयकों को पारित करने में बल्कि उनके क्रियान्वयन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जब एक बार विधेयक प्रभावी होने के लिए तैयार कर लिए जाते है। द्विसदनीय संसद अपने अधिकार को न केवल इस तथ्य से प्राप्त करती है कि हाउस ऑफ कॉमंस 'फस्ट पास्ट द पोस्ट' व्यवस्था (सर्वप्रथम केंद्र पर पहुंचने) के आधार पर लोगों के द्वारा निर्वाचित निकाय है, बल्कि हाउस ऑफ लॉर्डस के मामलें में पंरपराओं और विशेषज्ञता के आधार पर भी प्राप्त करती है। चूंकि बाद वाला निकाय (हाउस ऑफ लॉर्डस) एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है, इसलिए इसकी विधायी शक्तियां भी काफी सीमित है। साथ ही, इस प्रणाली में सांसदों को व्यक्तिगत स्तर पर सरल बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और जरूरी नहीं कि यह अपने निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटो के 50 प्रतिशत से अधिक हों।

अक्सर ब्रिटिश संसद में कार्यपालिका के प्रभुत्व की आलोचना की जाती है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में संबद्ध पार्टी और समर्थक सांसदों के कारण किसी भी कानून को पारित करने में सक्षम होती है। चुनाव प्रक्रिया के संस्थागतकरण के साथ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और अधिक वोटों को आकर्षित करने की आवश्यकता होती है, विशेषकर 19 शताब्दी के बाद पार्टी पद्धति मजबूत हुई है।

अब व्यक्तिगत स्तर पर सांसदों द्वारा कानून को प्रभावित करने की शक्तियां कम है क्योंकि संसद में सरकार के औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण को बढाया है।

संस्थागत डिजाइन के कारक के अलावा, पार्टी के सख्त अनुशासन और निष्ठा के कारण मुख्य पार्टी की प्रणालियों के विकास की वजह से संसद के कार्यकारी प्रभुत्व की प्रवृत्ति को अधिक मजबूत किया जाता है, जो विधायी प्रस्तावों के संबंध में सरकार की इच्छा को लागू करता है। महत्वपूर्ण कानून पर मतदान संसद में पार्टी के पक्ष में होता है और इसे पार्टी व्हिप की अनुशासनात्मक शक्तियों के माध्यम से लागू किया जाता है। सरकार का हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्य समय सारिणी पर काफी नियंत्रण होता है, जो हाउस को विधेयक पर प्राप्त जांच परख के अवसरो को सीमित करता है। मंत्री के व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत मंत्रियों को व्यक्तिगत घोटालों या विभागीय त्रुटियों पर इस्तीफा देने के लिए बाध्य करता है। समय के साथ, संसद ने बहस के तंत्र, प्रश्नकाल, संसदीय समतियों आदि के माध्यम से सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए अभिनव तरीके इजाद किए है। संसद में महामहिम के विरोध के संबंध में सदन में दूसरी सबसे पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासतौर से तब जब सत्ता पक्ष के पास सदन में बहुमत नहीं होता है। इसका नेता छाया मंत्रिमंडल (शैडो कैबिनेट) के साथ प्रधानमंत्री के विपरीत सीधे सामने बैठता है। वे सरकार में अपने समकक्षों को चुनौती देने के लिए जिम्मेदार है और वे वेतनभोगी पदों पर है।

9.5.2 सामान्य कानून और न्यायपालिका

सैद्धांतिक रूप से, संसद द्वारा प्रख्यापित कानून को देश की किसी भी अदालत द्वारा परिवर्तित नही किया जा सकता है। न्यायधीश संसदीय कानून की व्याख्या कर सकते है, लेकिन इसे समाप्त (पूर्ववत) नहीं कर सकते है। दूसरी ओर, संसद न्यायिक व्याख्या का प्रतिकार करने के लिए कानून का सृजन कर सकती है। इस एकात्मक राज्य में एक पूर्ण रूप से लिखित और संहिताबद्ध संविधान की अनुपस्थिति में संसद को न्यायिक घोषणा या विचार के आधार पर अवरूद्ध नही किया जा सकता है। अदालतें संसद के संवैधानिक कानूनों को रद्द नहीं कर सकती है, लेकिन इसे व्याख्याओं के माध्यम से दिशा–निर्देश देती है। वे परंपराओं और रीति–रिवाजों को वैधता एवं मान्यता प्रदान करती है तथा उन्हें कानूनी स्तर देती है।

9.5.3 अंतर्राष्ट्रीय कानून

संसदीय संप्रभुता की कुछ सीमाएं यूरोपीय संघ में ब्रिटिश सदस्यता से निकलती हैं (मूलतः 1973 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सदस्य के रूप में)। उदाहरणार्थ, यूरोपीय मानवाधिकार परिषद सदस्य राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशो, मानदंडो और निर्देशो का जारी करती है। यदि वे यूरोपीय संघ के कानूनों के साथ टकराते है तो यूरोपीय संघ की सदस्यता ने यूरोपीय अदालतों के साथ–साथ ब्रिटिश अदालतों को भी ब्रिटिश कानूनों को खत्म करने में सक्षम बनाया है। कुछ क्षेत्रों में, जहां यूरोपीय संघ के कानूनों को अधिदेश दिया गया था, इसे लागू करने के लिए ब्रिटिश कानूनों की अवेहलना की जा सकती है, यहां तक कि संसद की बिना पूर्व सहमति के। सैद्धांतिक रूप से वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली किसी भी स्थानीय निकाय या यहां तक कि यूरोपीय संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानो की दी गई शक्तियों को लागू या वापस ले सकती है। यूनाइटेड किंगडम में 2016 में हुए जनमत संग्रह कें बाद ब्रिटेन के यूरोपीय संघ

(ब्रक्सिट) से बाहर होने के साथ, ब्रिटिश संसद को अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों में अधिक शक्ति प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि, यूरोपीय संघ ही एकमात्र अतंर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है जो संसद की विधायी शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नाटो आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी वेस्टमिंस्टर प्रणाली की विधायी शक्तियों पर कुछ प्रभाव डालते है।

9.5.4 चुनावी चिंताएं और अनौपचारिक नियंत्रण

संसद किसी भी कानून को बना सकती है और यहां तक कि अगर वह चाहे तो संविधान को परिवर्तित भी कर सकती है। हालांकि यह एक सामान्य कार्यशैली नहीं है। वास्तव में, ब्रिटिश लोग अपनी पंरपराओं के प्रति बहुत सम्मान करते है और कोई भी सरकार प्रथाओं और पंरपराओं में बडे परिवर्तनों की वकालत नही करती है। एक समय में, हालांकि संसद अपनी इच्छा से किसी भी कानून को लागू कर सकती है, लेकिन इसके लिए लोगों की तरफ से होने वाले प्रतिरोध की संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का पता लगाना मुश्किल है, जिस पर सार्वजनिक प्रतिरोध कानून को अस्वीकार करते है और वैकल्पिक एजेंडें के लिए मताधिकार का प्रयोग करते है, अतः सरकार उन कानूनो और नीतियों का सृजन एवं लागू करने से बचती है जो वृहत स्तर पर प्रतिरोध पैदा कर सकते है।

एक लचीले संविधान की खूबियों के बावजूद, कई ब्रिटिश लोग संसद के नियंत्रण मुक्त विधायी अधिकार जिसके तहत सरकार के द्वारा दुरूपयोग की संभावनाएं रहती है, इसे रोकने के लिए एक संहिताबद्ध संविधान की मांग का समर्थन करते है। संसदीय शक्तियों पर अन्य अनौपचारिक नियंत्रण विभिन्न हित समूहों, दबाव डालने वाली लॉबी, मीडिया आदि का भी होता है। चूंकि सांसदों को अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों को खुश रखने की आवश्यकता होती है, अतः वे अक्सर महत्वचूर्ण विषयों पर आम लोगों की सार्वजनिक मनोदशा का ध्यान रखते है। इसलिए संसद की कानूनी संप्रभुता को लोगों के मताधिकार की शक्ति से प्राप्त राजनीतिक संप्रभुता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वे चुनावों के दौरान अपनी इस शक्ति का उपयोग करते है।

जैसा कि पिछले अनुभागों में चर्चा की गई है, संसदीय संप्रभुता का तात्पर्य हाउस ऑफ कॉमन्स की संप्रभुता है, जिसमें बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और इसी का प्रभुत्व रहता है। अतः पार्टी की वफादारी, अनुशासन और व्हिप ने एक तरह से संसदीय संप्रभुता पर सीमाएं लगा दी है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की विधायी और कार्यान्वयन क्षमता में वृद्धि हुई है। हालांकि पार्टी के अन्दर असंतोष कम नही होता और इस आधार पर नेताओ एवं सरकारों को प्रतिस्थापित किया जाता है। उदाहरणार्थ, जॉन मेजर ने मार्गेट थैचर का स्थान ले लिया, क्योंकि 1990 में कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें कम समर्थन मिला।

बोध प्रश्न 3

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ख) अपने उत्तर के लिए सुझावों हेतु इकाई के अंत मे देखें।

1) ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध की प्रकृति क्या है ?

.....

.....

.....

.....

.....

2) ब्रिटेन की संसद के विधायी प्राधिकरण के लिए प्रमुख सीमाएं और चुनौतियां क्या है ?

.....

.....

.....

.....

.....

9.6 कानून का शासन

चूंकि कानून के शासन के सिद्धांत की वैचारिक उत्पत्ति के लिए प्लेटो और अरस्तू जैसे पारंपरिक राजनीतिक दार्शनिकों के ऋणी हैं, जिन्होंने उस कानून की वकालत कारण से की न कि जुनून से, उनको शासक या सरकार से श्रेष्ठ माना जाता है। अरस्तू ने कहा,'कानून को शासन करना चाहिए और जो सत्ता में हैं उन्हें कानून का सेवक होना चाहिए'। व्यवहारिक रूप में, मध्यकाल में इस सिद्धांत ने व्यावहारिक रूप लेना शुरू किया। कानून के शासन के सिद्धांत का अर्थ है कि दोनों–नागरिक ओर सरकार (इसके अधिकारियों सहित) कानून से बंधे हैं जो पहले से ही सामान्य शब्दों में निर्धारित और निर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त, कानून के शासन को लागू करने के लिए तंत्र और संस्थानों की आवश्यकता होती है। कुछ विद्वान स्वतंत्र और नियामक प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों का सम्मान करते हैं जैसा कि सिद्धांत के गहन संस्करण को ग्रहण किया गया, जबकि जो लोग विरल संस्करण की वकालत करते हैं, वे कानून के शासन के प्रक्रियात्मक पहलुओं के साथ साथ सिद्धांत के कानूनी पहलू पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। निष्कर्ष ये है कि, इस बात पर एक व्यपक सहमति है कि कानून का शासन मनमाने या अत्याचारी शासन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को बताता है। जबकि राज्य के स्वविवेक या विवेकाधीन शक्ति के तत्व को कानून के शासन की विरोधाभासी के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती हे, लेकिन विवेकाधीन शक्तियों का मनमाने तरीके से उपयोग कानून को कमजोर कर सकता है।

मध्य युग के दौरान, सम्राट सकारात्मक, प्रथागत या दैवीय विधानों की शपथ लेते थे किंतु युनाइटिड किंगडम में इस अवधारणा की ऐतिहासिक उत्त्पत्ति के लिए मैग्ना कार्टा के ऋणी जिनका समर्थन किंग जॉन ने 1215 में किया। वह धनवानों द्वारा चुकाए जाने वाले करों को बढ़ाना चाहते थे ताकि फ्रांस के खिलाफ युद्ध में उस संचित धन का उपयोग किया जा सके। इस लिखित पत्र में बैरनों(सामंती प्रभुओं) ने राजा की शक्तियों को सीमित करने की मांग की प्रस्तावना दी, चूंकि वे कर–भुगतान की अपनी जिम्मेदारी निभाते थे तो वे चाहते थे कि राजा 'सुशासन का पालन' करें और मनमाने ढ़ंग से शासन न करें। अन्य बातों के अलावा, यह लिखित पत्र कहता है कि किसी को भी उनकी स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, 'उसके बराबर के वैध निर्णय को छोड़कर या उस भूमि के नियम के अनुसार'। यह अनुक्रमिक संसदों और अदालतों द्वारा, सम्राट की मनमानी करने की शक्तियों पर एक अंकुश लगाने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए कई बार उद्धरण किया गया। यह 16वीं शताब्दी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच धार्मिक युद्धों के जवाब में जीन बॉडिन (एक फ्रांसीसी न्यायविद) द्वारा प्रस्तावित राजाओं के 'दैवीय अधिकारों' के सिद्धांतों के विपरीत था। हालांकि, कानून के शासन के विचार को इस चरण में जीवनदान मिला और बाद में कानूनी पेशे द्वारा अपनाया गया। और शासक को कानून का पालन करना पड़ता था। यदि वे इसे बदलना भी चाहें तो, उन्हें प्राकृतिक कानून या प्रथागत कानून के अनुरूप नए कानून बनाने होते थे। जोकि, मौलिक रूप से, राजा की संप्रभु सत्ता पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया, इस सिद्धांत का विस्तार बाद में सरकार की तुलना में व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन करने के लिए किया गया।

यह तर्क के लिए नहीं कहा गया कि सम्राट हमशा प्रचलित कानूनों के अनुसार ही शासन करते थे। सामान्यतः उन्होंने अपने आचरण के लिए सार्वजनिक वैधता हासिल करने के लिए एक तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए चार्ल्स–I, संसदीय स्वीकृति के बिना करों को बढ़ाने, असंतुष्टों के साथ–साथ संसद में धार्मिक रूप से प्रभावी नैतिकतावदियों के साथ खींचतान पर फांसी देने जैसे मनमाने कानून लागू करने के लिए बदनाम था। इसका परिणाम 1642 से 1651 के बीच अंग्रेज़ी गृह युद्ध, संसद की जीत और 1649 में किंग चार्ल्स–I पर मुकदमे की सुनवाई और फांसी की सज़ा हुआ। जेम्स–VI के शासनकाल में मुख्य न्यायधीश सर एडवर्ड कोक द्वारा कानून के शासन के सिद्धांत को अधिक मजबूत शब्दों में व्यक्त किया गया, जब उसने कहा कि राजा को ईश्वर और कानून के अधीन होना चाहिए।

19वीं शताब्दी में राजनीतिक उदारवाद ने ब्रिटेन में प्रमुख विचारधारा के रूप में नवचेतना की आयु, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय, चर्च और राज्य का अलग होना और बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए आर्थिक पूंजीपति वर्ग का उदय तथा संपत्ति का रखरखाव और अनुबंध अधिकार और व्यापारिक हितों के साथ मजबूती से पैर जमाने का काम किया। इस घटना ने कानून के शासन के सिद्धांत में व्यक्तिगत अधिकारों के आयाम को मजबूत करने में योगदान दिया। कानून के शासन का सबसे व्यवस्थित और आधिकारिक विस्तार ब्रिटिश संविधान निर्माता ए. वी.डाइसी द्वारा लिखित 'इनट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ दी लॉज़ ऑफ दी

कांस्टिटयूशन' (1885) में मिला। उदार लोकतंत्र में इस पारंपरिक सिद्धांत पर उनकी समझ ने तीन अंतर–संबंधित तत्वों को उजागर किया :

1) नियमित कानून या वर्चस्व की प्रबलता की बजाय सरकार की ओर से शक्ति का मनमाना उपयोग। चूककर्ताओं या कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं को केवल कानून द्वारा और केवल उन विशिष्ट कानूनों के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है। डाइसी के लिए, विचारशीलता का अर्थ था ज्ञात नियमों और सिद्धांतों की अनुपस्थिति और इसलिए निरंकुशता के लिए जगह बनाई गई। सरकार की आवश्यकता से अधिक विचारशीलता का कारण बन सकती है।

2) सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और नियमों का एक ही समूह नागरिकों और सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा, एक जैसे उल्लंघन के मामलों में और इसी प्रकार की कोशिश कानून के सामान्य न्यायालयों द्वारा की जाएगी। डाइसी ने तब फ्रांस में प्रचलित 'प्रशासनिक कानून' या 'प्रशासनिक अधिकरण' की प्रणाली को खारिज कर दिया। इस प्रणाली के तहत, नागरिकों और सरकार/सरकारी अधिकारियों के बीच विवाद के मामलों को सामान्य या सिविल अदालतों द्वारा नहीं सुना जाएगा बल्कि विशेष रूप से नामित प्रशासनिक न्यायलयों और अधिकरणों द्वारा सुना जाएगा। उनका मानना था कि कानून के शासन नागरिकों और अधिकारियों के साथ समान व्यवहार करना और उन्हें एक ही भूमि के कानून के अधीन रखने के ब्रिटिश संस्करण से यह परिलक्षित होता है कि इंग्लैंड में कोई प्रशासनिक कानून नहीं था। हालांकि, आदर्श उस तरीके से पूरी तरह से एमजातीयता या एकरूपता का अधिकार नहीं देता जिससे सभी के साथ ब्रिटिश कानूनों के तहत बर्ताव हो। वास्तव में, कानून के तहत विशेषाधिकार या अपवाद की गारंटी के नियम हैं, उदाहरण के लिए, क्राउन की प्रमुख शक्तियाँ ब्रिटिश नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं। पुलिस के पास जाँच संबंधी उच्चतर स्तर की शक्तियाँ या अधिकार होते हैं। सांसद भी कुछ पहलूओं में प्रतिरक्षा और विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं जो आम नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

3) कानूनी भावना की प्रधानता यह बताता है कि व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा को कानूनी और न्यायिक रूप से आम कानून के माध्यम से मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, ब्रिटेन के पास विस्तार से लिखित संविधान नहीं है, कानून के शासन की परंपरा की व्याख्या आम कानून में न्यायालयों द्वारा की गई और सरकार के मनमाने तरीके से किए जाने वाले कार्यों से व्यक्तियों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया। उदाहरण के लिए, मनमाने रूप से नज़रबंद और गिरफ्तारी के खिलाफ नियम, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि। बल्कि डाइसी ने, आम कानूनों को मज़बूत करने में अधिक विश्वास व्यक्त किया और उनकी व्याख्या करने व उन्हें लागू करने में न्यायालयों की भूमिका पर। हालाँकि, ब्रिटेन में, संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से न्यायालयों के शक्ति को सीमित करता है, क्योंकि उत्तरार्द्ध संविधान का संरक्षक नहीं है और संसद के पास किसी भी सामान्य कानून या मौलिक स्वतंत्रता के प्रावधानों में अनुरूप संशोधन करने की शक्ति नहीं है।

बोध प्रश्न 4

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ख) अपने उत्तर के लिए सुझावों हेतु इकाई के अंत मे देखें।

1) कानून के शासन का अर्थ क्या है? यह सरकार की शक्तियों पर कैसे अवरोध के रूप में कार्य करता है?

.....

.....

.....

.....

.....

9.7 सारांश

यू.के. में संसदीय सर्वोच्चता और कानून के नियम का सिद्धांत कई दशकों के सामातिक–राजनीतिक विकास के जवाब में विकसित हुआ। संसद की तुलना में ये ब्रिटिश सम्राटों के घटते सामर्थ्य का परिणाम थे। परवर्ती की नीति बनाने के प्राधिकारों की मांग का प्रतिफल, अधिकार और जवाबदेही के रूप में सिरताज की शक्ति पर प्रगतिशील सीमाओं के रूप में मिला। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है और यह किसी अन्य संस्था, व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा सीमित नहीं है। हालाँकि, ब्रिटिश संसदीय संरचना में औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण है, साथ ही ब्रिटिश समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा रखी गई सामाजिक चिंताओं और मांगों पर विधायिका है जो इसकी शक्तियों को सीमित करती है। सबसे प्रासंगिक चुनौती, हाउज़ ऑफ कॉमन्स और कार्यकारी या वर्तमान की बहुमत की सरकार खासकर निचले सदन की, शक्तियों में अधिक खींचा–तानी से उत्पन्न होती है। इस अर्थ में, कानून के शासन का सिद्धांत, न केवल संसद के वर्चस्व के लिए न्यायसंगत तर्क देता है बल्कि कानून के अनुसार कानून या नियम का दायित्व निभाकर अपनी शक्ति पर एक निहित जांच के रूप में भी कार्य करता है। यह सरकार की विवेकगत शक्तियों का अनियंत्रित और पक्षपाती तरीके से प्रयोग पर एक परिसीमा में बाँधता है और व्यक्तिगत समर्थन को अस्वीकृत करता है। यू.के. में लोकतांत्रिक शासन के कानून के पक्ष में दो सिद्धांतों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की गई है।

9.8 संदर्भ

डेसी, वी. एल्बर्ट (1915). इनट्रोडक्शन टु दी स्टडी ऑफ दी लॉ ऑफ दी कांस्टिट्युशन. लंदनः लिबर्टि क्लासिक्स।

एथरिज, ई. मारकस् एंक हैंडलमैन, होवर्ड. (2013). पॉलिटिक्स् इन चेंजिंग वर्ल्डः ए कम्पैरेटिव इनट्रोडक्शन टु पॉलिटिकल साइंस. स्टैनफोर्डः सेनगेज लर्निंग।

ग्रांट, मोयरा. (2009). दी यूके पार्लियामेंट. ईडनबर्गः ईडनबर्ग युनिवर्सिटि प्रेस।

केसलमैन, मार्क, विलियम ए. जोस्फ एंड क्रिएजर, जोएल.(2019). इनट्रोडक्शन टु कम्पैरेटिव पॉलिटिक्सः पॉलिटिकल चैलेंजिज़ एंड चेंजिंग एजेंडाज़. बोस्टनः सेनगेज लर्निंग।

मैककोरमिक, जॉन (2010). कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स इन ट्रांज़िशन. कैनेडाः वॉडस्वर्थ।

तम्मनाह, ब्राइन (2012). दी हिस्ट्री एंड एलिमेंटस् ऑफ दी रूल ऑफ लॉ. सिंगापुर जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज़, 232–247।

वॉल्के, एंथनी (2012). दी रूल ऑफ लॉः इटस् ओरिजिंस् एंड मीनिंगस् (ए शार्ट गाइड फॉर प्रैक्टिशनरस्), यूआरएलः http://ssrn.com/abstract=2042336.

विलावर्दे, जीज़स् फर्नैनडिस् (2016). दी रूल ऑफ लॉ, एंड दी लिमिटस् ऑन दी गर्वमेंट, इंटरनैशनल रिव्यू ऑफ लॉ एंड इकोनोमिक्स् 47: 22–28।

यादव, के. आलोक (2017). रूल ऑफ लाफ. इंटरनैशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड लीगल जुरिस्प्रूडेंस् स्टडीज़ 4(3): 205–220।

ज़ोलो, डेनिलो. (2007). दी रूल ऑफ लॉः ए क्रिटिकल रीअप्रेज़ल इन पीएत्रो कोस्ता एंड डेनिलो ज़ोलो (एडज़्). दी रूल ऑफ लॉः हिस्ट्री, थ्योरी एंड क्रिटिसिज़म्. दी नीद्रलैंडस्ः स्प्रिंगर।

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) अपने उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को उजागर करेः

   क) स्वतंत्र रूप से किसी अन्य संस्थगत हस्तक्षेप के बिना किसी भी कानून को बनाने या संशोधित करनेकी क्षमता हो, तथा

   ख) संसदीय कानून को अमान्य बनाने कलिए कोई अन्य प्राधिकारी सक्षम नहीं हो

2) अपने उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को उजागर करेः

   क) संसद को दी गई चरण–वार प्रगतिशील वृद्धिशील शक्तियाँ,

   ख) समकालिक, नीतियाँ बनाने या ब्रिटेन की संसद पर शासन करने में राजशाही की शक्तियों में कमी, तथा

   ग) चुनावी अधिकारों का प्रगतिशील विस्तार तथा विशाल संख्या में मतदाताओं के प्रति सरकार की लोकतांत्रिक जवाबदेही की चिंता।

बोध प्रश्न 2

1) अपने उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को उजागर करेः

   क) वाक्यांश 'क्वीन इन पार्लियामेंट' – सम्राट, हाउस ऑफ कॉमंस् तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, का विस्तार करें,

ख) निचले सदन को लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है जबकि ऊपरी सदन नहीं,

ग) वित्तीय मामलों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सीमित शक्तियाँ, नीति मामलों में सीमित वीटो पावर,

घ) ऊपरी सदन द्वारा एक विचारशील मंच के रूप में उपयोगी भूमिका, तथा

ड़) आधुनिक संसदीय प्रणाली में सम्राट की शक्तियाँ प्रतीकात्मक कार्यों तक सीमित हैं।

बोध प्रश्न 3

1) अपने उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को उजागर करेः

क) यूके के पास एक मिश्रित विधायिका है, यानि कि कार्यपालिका विधायिका का एक भाग है, तथा

ख) निचले सदन में अपने व्यापक प्रभुत्व, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना में हाउस ऑफ कॉमन्स की सीमित शक्तियाँ, पार्टी व्हिप का कानून, राजनीतिक दलों की प्रकृति के कारण से सत्तारूढ़ दल की व्यापक शक्ति।

2) अपने उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को उजागर करेः

क) विधायिका की कार्यकारी प्रधानता,

ख) संसद द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय कानून, लेकिन इसके द्वारा रद्द भी किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए ब्रेक्सिट,

ग) न्यायपालिका की भूमिका,

घ) समय–समय पर चुनाव और अनौपचारिक नियंत्रणों के माध्यम से जनता की राय, तथा

ड़) कानून के नियम का सिद्धांत।

बोध प्रश्न 4

1) अपने उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को उजागर करेः

क) कानून के समक्ष समानता, प्राधिकारी वर्ग की स्वेच्छित और स्वनिर्णयगत शक्तियों पर अंकुश, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, तथा

ख) सरकार द्वारा कानूनों को मनमाने ढ़ंग से तैयार या कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए। प्रगतिशील रूप से, सिद्धांत को विधायिका और न्यायपालिका के कामकाज में शामिल किया गया है।